प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.08.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31/07/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्त जावेद द्वारा वादी के पुत्र उम्र करीब 09 वर्ष के साथ गलत काम करना, मारपीट करना, गाली-गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा- 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 01/08/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र साजिद निवासी मनीष पार्क, पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे नशा करने की आदत है। दिनांक 31/07/2026 को दोपहर के समय पीड़ित मेरे ऑफिस के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उस समय मैं ऑफिस में अकेला था। मैंने पीड़ित को ऑफिस में बुलाया तथा उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जावेद पुत्र साजिद निवासी मनीष पार्क, पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 14.06.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 21.05.26 को मेरे पुत्र राजकुमार ने अपनी पत्नी रजनी की मानसिक व शारीरिक प्रताडना से तंग व दुखी होकर

आत्महत्या कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा- 108 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.08.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता रजनी पत्नी राजकुमार निवासी रेल विहार कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल निवासी जसरुपनगर कॉलोनी दस्तोई रोड थाना कोतवाली हापुड, उम्र करीब 38 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी शादी करीब 18 वर्ष पूर्व राजकुमार से हुई थी। हमारे 02 बच्चे भी है। शादी के बाद से ही हम दोनों में पारिवारिक झगडे होने लगे थे तो मैं शादी के लगभग 06 महीने बाद ही अपने पति से अलग रहने लगी थी। उसके बाद अब मैं करीब 01 वर्ष से अपने पति राजकुमार के साथ ही रह रही थी परन्तु हम दोनों के बीच में अक्सर छोटी- बडी बातों को लेकर झगडा होता रहता था। इसी बात से तंग आकर मेरे पति राजकुमार ने दिनांक 21.05.2026 को आत्महत्या कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

रजनी पत्नी राजकुमार निवासी रेल विहार कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, मूल निवासी जसरुपनगर कॉलोनी दस्तोई रोड थाना कोतवाली हापुड, उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने वाला तथा 10,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरणः- दिनांक 01.05.2026 को वादिया निवासी गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद ने वादिया को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादिया को नशीला पदार्थ पिलाना, बलात्कार करना, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.07.2026 को ईनामिया अभियुक्त मोहित पाल पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम

खगुआवास पोस्ट सिकन्द्राबाद थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 30 वर्ष को लक्ष्मीनगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>
अभियुक्त पियूष से पूछताछ की गयी तो में बताया कि साहब मैं व मेरे साले ने मिलकर शराब पी जिसके बाद शराब के नशे में वादिया को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया था जब वादिया बेहोश हो गयी तो दोनो नें मिलकर वादिया के साथ सम्बन्ध बनाये थे। वादिया किसी के सामने अपना मुह न खोले इसलिए उसे डराया धमकाया था। जिसके बाद हम पुलिस से बचते फिर रहे थे।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

1. मोहित पाल पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम खगुआवास पोस्ट सिकन्द्राबाद थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 30 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाले टीमः-</u>

- थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मूर्ती पीली धातु (पीतल की) व 02 छोटे कलश चोरी के बरामद।

<u>घटना का विवरणः-</u> दिनांक 30.07.2026 को थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर वादी श्री अजय आनन्द पुत्र स्व0 देवानन्द निवासी ए 99 मैन शालीमार गार्डन गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर धारा- 305 बीएनएस बनाम अभियुक्त रिजवान द्वारा वादी के घर में पिलम्बर का काम करना तथा मन्दिर की 01 sat की मूर्ति, 04 तांबे के लोटे, 05 मुखी दीपक और कुछ तांबे के बर्तन चोरी कर ले जाना जिसके सबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.07.2026 को 150 फुटा रोड आपकी रसोई के पास शालीमार गार्डन एक्स 01 गाजियाबाद से अभियुक्त रिजवान पुत्र डब्बू निवासी शहीदनगर मस्जिद वाली गली थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को मय चोरी की 01 मूर्ती पीली धातु (पीतल की) व 02 छोटे कलश सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं एक घर में पिलम्बर के काम के लिये गया था मुझे लालच आ गया था तो मैंने लालच में ही उनके घर के मन्दिर से यह मूर्ति व पूजा का और सामान चोरी किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

रिजवान पुत्र डब्बू निवासी शहीदनगर मस्जिद वाली गली थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>
चोरी की मूर्ती पीली धातु (पीतल की) व 02 छोटे कलश बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 01.08.2026 को थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गन्दा नाला शालीमार एक्सटेंशन वन गाजियाबाद के पास से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त 1. निखिल चौधरी पुत्र वेदप्रकाश निवासी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष। 2. सुजीत कुमार झा पुत्र गणपति झा निवासी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में थाना सीमापुरी शाहदरा दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में थाना शालीमार गार्डन पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने मिलकर कुछ दिन पूर्व ही दिलशाद गार्डन दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.निखिल चौधरी पुत्र वेदप्रकाश निवासी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली, उम्र करीब 20 वर्ष

2. सुजीत कुमार झा पुत्र गणपति झा निवासी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर उपरोक्त चोरी की मो0सा0 बरामदगी होने के सबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त मो0सा0 चोरी का 01 अभियोग थाना सीमापुरी शाहदरा दिल्ली में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम गाजियाबाद।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 02.07.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर ईएफआईआर प्राप्त हुई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीनकर भाग जाना। उपरोक्त के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 01.08.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त मनीष रावत पुत्र प्रेम सिंह रावत निवासी बी 514 ब्रिज विहार थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है जिसे मैंने व मेरे साथी शिवम ने दिल्ली में झिलमिल कॉलोनी से चोरी की थी। मैं और शिवम मोटरसाइकिल बदल बदल कर नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली क्षेत्र में लूट, चोरी, मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, करीब 02 महीने पहले मैंने और शिवम ने विण्डसर पार्क इंदिरापुरम के पास से एक आदमी से रात 11.30 बजे के लगभग एक मोबाइल सैमसंग छीना था जिसे हमने दिल्ली में राह चलते आदमी को बेच दिया था, प्राप्त पैसों को आपस में बांट कर नशे-पत्ती में खर्च कर दिए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मनीष रावत पुत्र प्रेम सिंह रावत निवासी बी 514 ब्रिज विहार थाना लिंक रोड गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता

शिवम निवासी रामप्रस्था थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी के सम्बंध में 03 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना इन्दिरापुरम पर छिनैती के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा घर का ताला तोडकर सामान व मो0सा0 चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल (UP 14 EE 5981), 252 ग्राम सफेद धातु के आभूषण (कमरबंद, पायल व कड़े), ₹980/- नकद, ताला तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड तथा चोरी में इस्तेमाल की गई ओला रेंटेड WagonR कार (HR 55 AY 5694) बरामद

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 30.07.2026 को वादी रिंकू पुत्र अनूप सिंह निवासी मं0नं0 16 गांव मोरटा थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ने थाना मधुबन बापूधाम आकर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 26.07.2026 को रात्री करीब 3:30 – 4 बजे के बीच घर से मो0सा0 चोरी तथा कमरे का ताला टूटा था जिसमें से चाँदी का सामान व कैश गायब था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 229/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन चैकिंग के दौरान मनन धाम फाटक के पास से 02 नफर अभियुक्तगण (1). प्रकाश पुत्र भरत झा निवासी सेक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष (2). सूरज त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी निवासी भट्टा न0 5 गढी गाँव थाना नन्दग्राम गाजियाबाद हाल निवासी गुलधर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चोरी की मोटरसाइकिल (UP 14 EE 5981), 252 ग्राम सफेद धातु के आभूषण (कमरबंद, पायल व कड़े), ₹980/- नकद, ताला तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड तथा चोरी में इस्तेमाल

की गई ओला रेंटेड **WagonR** कार (**HR** 55 **AY** 5694) के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण प्रकाश व सूरज त्यागी उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनो के पास पैसो की तंगी चल रही थी। हम दोनो दोस्तो ने मिलकर योजना बनाई और दिनांक 26.07.2026 की रात्रि में हम दोनों **WagonR** गाड़ी से ग्राम मोरटा आए थे। वहाँ एक मकान से ताला तोड़कर हमने आभूषण, कैश और एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। चोरी करने के बाद हमने मोटरसाइकिल को झाड़ियों में छिपा दिया था तथा चांदी के आभूषण और कैश को आपस में आधा-आधा बांट लिया था। आज हम उसी चोरी के सामान और मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- प्रकाश पुत्र भरत झा निवासी सेक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

2- सूरज त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी निवासी भट्टा न0 5 गढी गाँव थाना नन्दग्राम गाजियाबाद हाल निवासी गुलधर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास।

1- कमि0 गाजियाबाद के अन्तर्गत अभियुक्त सूरज त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि, थाना कविनगर पर अन्तर्गत (1) धारा 379/411 भादवि व 197 मोटर व्हीकल एक्ट (2) धारा 379/411 भादवि (3) धारा 379/411/414 भादवि (4) धारा 4/25 आर्म्स एक्ट , थाना लोनी पर अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएसएक्ट , थाना साहिबाबाद पर अन्तर्गत धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना नन्दग्राम पर अन्तर्गत (1) धारा 379/411 भादवि (2) 414/414 भादवि , थाना बाबूधाम पर अन्तर्गत (1) 379/411/482 भादवि (2) धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (3) धारा 34/392/411 भादवि (4) धारा 379/411 भादवि (5) धारा 380/411 भादवि (6) धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस (7) धारा 317(2)/317(5) बीएनएस कुल 16 मुकदमें पंजीकृत है।

2- गिरफ्तार अभियुक्त प्रकाश पुत्र भरत उपरोक्त के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत है

इस प्रकार गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध भित्र-भित्र थानों पर लगभग एक दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद चोरीशुदा मो0सा0 UP 14 EE 5981 बरामद।
2. 252 ग्राम सफेद धातु के आभूषण (कमरबंद, पायल व कड़े)
3. 980/- रुपये नगद बरामद।
4. एक अदद राड लोहा।
5. घटना में प्रयुक्त एक वैगनआर कार HR 55 AY 5694 बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।